फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर(राज.)

प्रार्थी श्री वरदा बनाम श्री प्रकाश

किस्म मुकदमा : 212 R.T.Act पत्रावली संख्या : ५०/23 (प्रा.पत्र)

क्रम संख्या	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाये जो जारी की गई ।
	दिनांक : 17.05.2023 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अधिवक्ता श्री शंकरलाल डांगी द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दस्तावेजात के पेश कर विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाने का निवेदन किया। हमनें अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना। प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवम दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण आवश्यक प्रकृति का प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि **मौजा माणक्यावास पटवार हल्का मांगथला की आराजी नम्बर 1902, 2018 किता 2 रकबा 1.8859 हेक्टेयर भूमि में विपक्षीगण आगामी पेशी/जवाब पेश होने तक वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।** विपक्षीगण को हुक्म ईमतनाई [illegible] मजरिया जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी [illegible] .07.2023 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) मावली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:34:49 IST
Reason: SelfAttested

21/06/2023

पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ~~[illegible]~~ तलबी मय
विड्रो का पेश करने पर तलब की गई। प्रार्थी
मय अधिवक्ता द्वारा प्रा. पत्र पेश कर पक्षकारान
के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से प्रकरण
में कोई कार्यवाही चाहकर प्रकरण को इसी स्तर
पर ड्रोप किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी
की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई।
अतः प्रार्थी प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने
से प्रकरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य
नहीं है। अतः पत्रावली में पूर्व में जारी अन्तरिम
अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती है। पत्रावली इसी
स्तर पर ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय सुनाया गया।

वरदा
[illegible] by me
NC

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली, जिला-उदयपुर

सहायक कलक्टर
SDO मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:34:49 IST
Reason: SelfAttested